रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265555
CG-DL-E-21082025-265555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947
No. 512] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025.

सा.का.नि. 556(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग (मापविज्ञान सहायक) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अधीन मापविज्ञान सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, मापविज्ञान सहायक भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं आदि.– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .- वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह का संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
मापविज्ञान सहायक	23* (2025) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन-मैट्रिक्स स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (35400-112400 रुपये).	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की भौतिकी में स्नातकोतर उपाधि अथवा यांत्रिकी अथवा विद्युत अथवा इलेक्ट्रानिकी	लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की

अथवा कंप्यूटर अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में स्नातक उपाधि। टिप्पण: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।		अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धतिःभर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
सीधी भर्ती । टिप्पण.- प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण पदधारी के एक वर्ष या अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी- (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किये हुए हैं; अथवा (ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो, अथवा (iii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनयुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव जो प्रशासन के प्रभारी हों, उपभोक्ता मामले विभाग – अध्यक्ष, 2. निदेशक (विधिक मापविज्ञान), उपभोक्ता मामले विभाग – सदस्य, 3. उप सचिव अथवा निदेशक, जो प्रशासन के प्रभारी हों - सदस्य,।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/1/2015-स्थापना]

शशि भूषण, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2025

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Consumer Affairs (Metrological Assistant) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Metrological Assistant in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs, Metrological Assistant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay level in pay matrix.– The number of the said posts, their classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Methods of recruitment, age limit, and qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Metrological Assistant.	**23* (2025)** *****Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential:- Master's Degree in Physics or Degree in Mechanical or Electrical or Electronics or Computer or Instrumentation Engineering of a recognised University or Institutions. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two Years Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or the State Governments or the Union territory Administration, Governments- a. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six year regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and b. Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary or Joint Secretary In-charge of Administration, Department of Consumer Affairs- Chairperson; 2. Director(Legal Metrology), Department of Consumer Affairs - Member; 3. Deputy Secretary or Director In-charge of Administration- Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/1/2015-ESTT]

SHASHI BHUSHAN, Advisor (COST)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.21 09:28:08 +05'30'